भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 431

जिसका उत्तर 08.12.2022 को दिया जाना है

घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग करना

431. श्री रामशिरोमणि वर्मा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित निर्माण कार्य में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग करने वाली एजेंसियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी कंपनियों के भुगतान रोककर उन्हें काली सूची में डाला गया/डालने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का निर्माण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्दिष्ट गुणवत्ता मानकों /भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) विनिर्देशों और कोड के अनुसार किया जाए । जब तक विनिर्देशों और कोड के अनुसार सड़कों का निर्माण नहीं किया जाता है, तब तक अनुबंधों को पूर्ण नहीं माना जाता है। निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय और इसकी कार्यकारी एजेंसियों द्वारा स्थल पर कार्यों के दिन-प्रतिदिन पर्यवेक्षण के लिए परामर्शदाताओं (प्राधिकरण के अभियंता/स्वतंत्र अभियंता) की नियुक्ति की जाती है। ऐसी जांच/पर्यवेक्षण के दौरान पाई गई कमियों, यदि कोई हो, को आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिए रियायतग्राही/ठेकेदारों के ध्यान में लाया जाता है।

******